International Journal of Education, Modern Management, Applied Science & Social Science (IJEMMASSS)
ISSN : 2581-9925, Impact Factor: 6.882, Volume 05, No. 03(II), July - September, 2023, pp. 75-78

संसदीय लोकतंत्र में फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षणः भारतीय परिप्रेक्ष्य में

चेनाराम मुंदलिया*

सार

संसदीय लोकतंत्र में सरकार के गठन एवं उतरदायित्व की व्यवस्था विधायिका के प्रति होती है यानी व्यवस्थापिका ही जनइच्छा का प्रतिनिधित्व करती है। भारतीय संघीय व्यवस्था में केन्द्र एवं राज्यों के स्तर पर संसदीय व्यवस्था है और सरकार के विधायिका के प्रति उतरदायित्व का निर्धारण हेतु विविध तरीके है उनमें फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण भी एक है। शक्ति परीक्षण एक वैधानिक प्रक्रिया है जिसका प्रयोग भारतीय राजव्यवस्था में एस आर बौम्बई मामले के बाद राज्य स्तर पर सरकारों के बनने तथा बिगड़ने में किया जाता रहा है। इस प्रक्रिया में राज्य स्तर पर राज्यपाल द्वारा नियुक्त सरकार या मुख्यमंत्री को सदन के पटल पर अपना बहुमत सिद्ध करना होता है। भारतीय संसदीय लोकतंत्र में राज्य स्तर पर बहुदलीय व्यवस्था तथा सरकारों की बढती अस्थिरता के दौर में शक्ति परीक्षण का उपाय एक प्रभावी संसदीय तरीका बन के उभरा है। प्रस्तुत शोध आलेख में संसदीय लोकतंत्र में सरकारों के विधायिका के प्रति उतरदायित्व एवं शक्ति परीक्षण के महत्वपूर्ण उपाय के रूप में फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण की आवश्यकता, महत्व तथा इसकी प्रक्रिया का विवेचन हुए इसे प्रभावी बनाने के तरीके का अध्ययन किया गया है।

शब्दकोशः संसदीय लोकतंत्र, वेस्टमिंस्टर मॉडल, अस्पष्ट जनादेश, फ्लोर टेस्ट, हंग पार्लियामेंट।

प्रस्तावना

आधुनिक युग में लोकतंत्र शासन का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप माना जाता है। राज्यों का बढता ओर एवं जनसंख्या के कारण इसके प्रतिनिधात्मक स्वरूप को ही वैश्विक स्तर पर स्वीकारा गया है। जिसमें जनता निश्चित समय के लिए अपने प्रतिनिधि चुनती है और उनके द्वारा जन हित में शासन का संचालन किया जात है। वस्तुत यह बहुमत का शासन है जिसमें बहुमत प्राप्त दलीय व्यवस्था द्वारा शासन का संचालन किया जाता है।

लोकतंत्र में सरकार के दो महत्वपूर्ण अंग यानी व्यवस्थापिका और कार्यपालिका के पारस्परिक सम्बन्ध के आधार पर सरकार के संसदीय एवं अध्यक्षात्मक स्वरूप देखने को मिलता है। संसदीय व्यवस्था में जहां दोनो अंगों में घनिष्ट सम्बन्ध पाया जाता है वहीं अध्यक्षात्मक शासन की व्यवस्था का गठन शक्ति पृथक्करण के आधार पर होता है।

---

* सहायक आचार्य – राजनीति विज्ञान, राजकीय बांगड़ महाविद्यालय, डीडवाना, राजस्थान।

संसदीय लोकतंत्र में सरकार के दो अंगो यानी विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है तथा कार्यपालिका का गठन विधायिका में बहुमत प्राप्त दल से होता है और कार्यपालिका यानी सरकार अपने कार्यकाल एवं नीतियों के लिए विधायिका के निम्न सदन के प्रति उतरदायी होती है।

भारत में वेस्टमिंस्टर मॉडल पर आधारित संसदीय व्यवस्था को अपनाया गया है। ऐसी व्यवस्था की सफलता एवं स्थायित्व के लिए द्विदलीय व्यवस्था का होना आवश्यक होता है परन्तु अधिकांश विकासशील देशों में बहुदलीय व्यवस्था के बावजूद शासन के इसी स्वरुप को अंगीकृत किया है, इसमें भारत भी एक है।

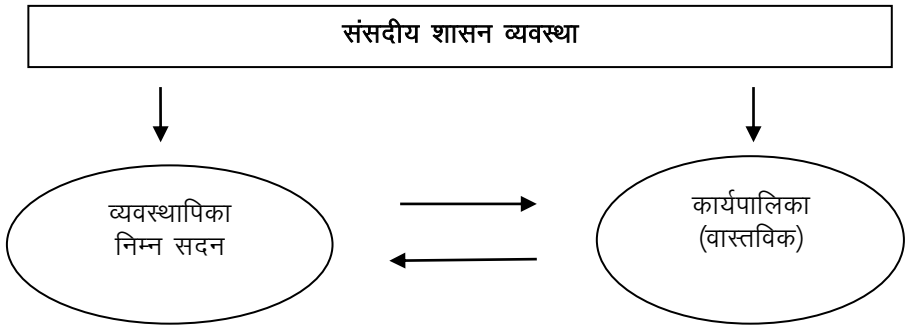

भारत में संसदीय शासन का इतिहास अच्छा रहा है परन्तु बहुदलीय व्यवस्था के कारण कई बार ऐसे भी अवसर आये है जब लोकसभा या राज्यों की विधानसभाओं में अस्पष्ट जनादेश की स्थिति सामने आयी और ऐसे में सरकार के गठन में संकट पैदा हुआ है या सरकार के अल्पमत में आने पर उसकी संख्या बल के निर्धारण को लेकर असमंजस्य या ऊहापौह का माहौल उत्पन्न हो तब फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण की बात होने लगती है।

संविधान में संसदीय व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रावधान :

संविधान के अनुच्छेद 75 (2) में कहा गया कि संघ सरकार के मंत्री राष्ट्रपति के प्रसादप्रर्यन्त ही अपने पद रहते है अर्थात वे राष्ट्रपति के प्रति व्यक्तिगत दृष्टि से उतरदायी है। अनुच्छेद 75(3) में कहा गया है कि मंत्रिपरिषद (प्रधानमंत्री सहित) सामुहिक रुप से लोकसभा के प्रति उतरदायी होगी। अनुच्छेद 164 तथा 164(1) में इसी प्रकार के प्रावधान राज्यों के लिए किए गये है अर्थात राज्यों के मंत्री राज्यपाल के प्रति व्यक्तिगत रूप से तथा विधानसभा के प्रति सामुहिक रुप से उतरदायी होंगे।

संसदीय व्यवस्था में बहुमत के निर्धारण या शक्ति परीक्षण के तरीके

इस प्रकार संवैधानिक प्रावधानों से यह स्पष्ट होता है कि भारतीय संसदीय शासन की व्यवस्था में सरकार के अस्तित्व का निर्धारण विधायिका के निम्न सदन में उसे प्राप्त विश्वास या बहुमत पर निर्भर करता है। भारतीय परिपेक्ष्य में सामान्यता बहुमत के निर्धारण या शक्ति परीक्षण के तीन तरीके देखने को मिलते है –

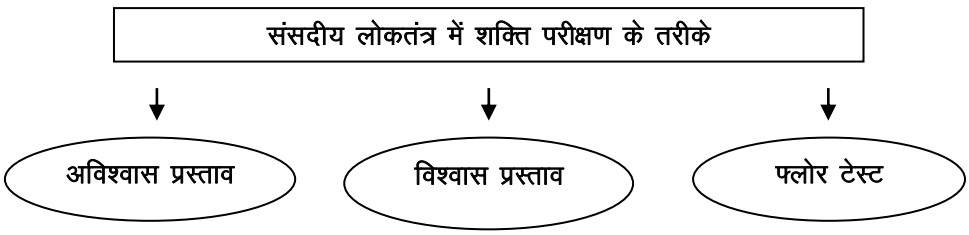

- **अविश्वास प्रस्ताव** (No Confidance Motion) यह प्रस्ताव सरकार के विरोध में विपक्षी दलों द्वारा लाया जाता है।
- **विश्वास प्रस्ताव** (Confidance Motion) यह सरकार द्वारा लाया जाता है।

- **फ्लोर टेस्ट** (Flor Test) सरकार या विपक्ष की मांग पर या राज्यपाल के आदेश पर किया जाता है।
- **फ्लोर टेस्ट (**Flor Test) **या शक्ति परीक्षण क्या होता है** –

जो भी दल सरकार में है उसके पास बहुमत है या नहीं इसका निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक से नहीं करे अपितु इसका निपटारा सदन के पटल पर होना चाहिए इसी को फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण कहते है।

बहुत सी परिस्थतियों में सरकार या सरकार बनाने का दावा करने वाले दलों के संख्या बल को लेकर असमजंस या ऊहापोह की स्थिति रहती है तब यह व्यवस्था रहती है कि राज्यपाल ऐसी स्थिति का निर्धारण अपने विवेक से न करके आदेश देगा कि आप सदन में फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण कीजिए। बहुमत है तब ठीक वरना आपका पद पर बने रहना लाजमी नहीं है।

फ्लोर टेस्ट (Flor Test) **या शक्ति परीक्षण की संवैधानिक स्थिति**

भारतीय संविधान में इसका कई पर भी प्रावधान नहीं है। संविधान के अनुच्छेद 118 में प्रत्येक सदन (लोकसभा, राज्यसभा, राज्य की विधानसभा) को अपने कार्यो को सुचारू रूप से चलाने के लिए नियम एवं परिनियम बनाने का अधिकार है। इसके तहत केवल अविश्वास की प्रक्रिया की ही उल्लेख मिलता है। इस दृष्टि से देखा जाए तो फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया का संविधान में उल्लेख नहीं है।

भारतीय राजनीति में फ्लोर टेस्ट (Flor Test) **या शक्ति परीक्षण की शुरुआत एवं विकास**

भारतीय राजनीति में 1967 के चतुर्थ आम चुनाव व्यवस्था में क्रांतिकारी बदलाव का आगाज करते है। अंधिकाश राज्यों में पहली बार गैर कांग्रेसी सरकारों का गठन होता है परन्तु इनके निर्माण का आधार कांग्रेस को सत्ता में आने से रोकना था अतः जो गठबंधन पर आधारित सरकारें बनी उनकी नींव पहले से ही कमजोर थी। इसी से भारतीय राजनीति में दल बदल का एक संक्रामक रोग आता है इससे सरकारों में अस्थिरता का वातावरण बना। आयाराम गयाराम की राजनीति में सरकारें अस्थिर होने लगी और इसे रोकने के लिए 52 वें संविधान संशोधन (1985) द्वारा संविधान में 10 वीं अनुसूची जोड़ी गई और दल बदल निरोधक कानून बनाया गया परन्तु इस कानून की कुछ कंमियों के कारण राज्यों में दलबदल को रोका जाना सम्भव नहीं हुआ। विभिन्न दल सरकारों के गठन या शक्ति परीक्षण के लिए राज्यपाल के सामने अपने समर्थक विधायको की परेड कराने लगे। इसमें कई बार राज्यपाल के सामने दुविधा की स्थिति आयी कि वास्तव में बहुमत किसके पास है इसका निर्धारण कैसे किया जाये। 1988 में एस आर बोम्मई की सरकार को राज्यपाल जब बर्खास्त करते है और इस निर्णय को जब उच्च न्यायालय में चुनौती दी तब न्यायालय ने राज्यपाल के निर्णय को सही माना परन्तु जब मामला सर्वोच्च न्यायालय गया तब 1994 में एस आर बोम्मई बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने फैसला दिया कि बहुमत का निर्धारण राज्यपाल अपने विवेक से न कर सदन के पटल पर फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण के माध्यम से करे। तभी से यह एक नजीर बन गयी कि अस्थिरता का निर्धारण फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण से होना चाहिए।

फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण की आवश्यक परिस्थितियां

वह पस्थितियां जिसमें फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होती है –

- हंग पार्लियामेंट या विधायिका की स्थिति में जब सबसे बड़े दल द्वारा सरकार बनाने का दावा किया जाये।
- चुनाव के बाद किसी गठबंधन द्वारा सरकार निर्माण की स्थिति में
- राज्य में राष्ट्रपति शासन के दौरान जब सरकार गठन की सम्भावना नजर आये और कोई सदन एक राय होकर सरकार निर्माण की बात कहें तब।
- राज्य में जनता राज्य चुनी हुई सरकार जब किसी कारण से अचानक अल्पमत में नजर आये तब भी फ्लोर टेस्ट की आवश्यकता होती है।

संक्षेप में केन्द्र की अपेक्षा भारतीय राज्य राजनीति में सरकारों के बनने एवं बिगड़ने का खेल ज्यादा प्रभावी है। कई बार राज्यपाल के सामने विचित्र स्थिति पैदा हो जाती है कि बहुमत किस दल के पास है। ऐसा भी देखने में आया है कि कई बार राज्यपाल महोदय भी पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर निर्णय कर लेते है। 1998 में उतरप्रदेश में राज्यपाल रोमेश भण्डारी द्वारा कल्याण सिंह के स्थान पर जगदम्बिका पाल को मुख्यमंत्री बनाना तथा न्यायालय के निर्णय पर मिश्रित या संयुक्त फ्लोर टेस्ट या शक्ति परीक्षण से पुनः कल्याणसिंह का मुख्यमंत्री बनना यह इंगित करता है कि बहुमत के निर्धारण का आधार सदन के पटल पर ही मत विभाजन या फ्लोर टेस्ट से ही होना संसदीय लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. लक्ष्मीकांत, एम (2021) भारतीय शासन, मैक्ग्रॉ हिल एज्यूकेशन।
2. लक्ष्मीकांत, एम (2021) भारत की राजव्यवस्था, मैक्ग्रॉ हिल प्रकाशन हैदराबाद।
3. साहू, भूवनेश्वर लाल (2020) भारतीय शासन एवं राजनीति परिदृश्य, रेपरो बुक लि.मि. मुम्बई।
4. फड़िया, बी. एल. (2020) भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।
5. जैन, पुखराज (2022) भारतीय शासन एवं राजनीति, साहित्य भवन प्रकाशन, आगरा।
6. सिंह, अजातशत्रु (2016) भारतीय संविधान, सरकार और शासन, यूनिकार्म बुकस प्रकाशन।
7. सिंह, अभय प्रसाद एवं मुरारी कृष्ण (2019) भारत में राजनीतिक प्रक्रिया, आरियेंट ब्लैकस्वान प्रकाशन, दिल्ली।
8. कुमार, पुनीत (2019) भारतीय राजनीतिक संस्थाएं और संरचनाएं, कैलास पुस्तक सदन, भोपाल।

❖◆❖